Khaitan CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED
CIN : L24219MP1982PLC004937
Apollo Arcade, 3rd Floor, 1/2, Old Palasia, Indore - 452018 (M.P.)
Phone : 0731-4753666, Fax :4753655, E-mail : secretarial@kcfl.in, Website : www.kcfl.co.in

KCFL/2022/

May 25, 2022

To,
The Manager (DCS/Compliance)
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, **MUMBAI- 400 001**

To,
The Manager (Compliance/Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), **MUMBAI- 400 001**

BSE Scrip Code : 507794

NSE Symbol : KHAICHEM

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are attaching herewith copy of Newspaper advertisements published in Newspaper viz. Free press (English Edition) and Choutha Sansar (Hindi Edition) dated May 25, 2022 of giving Notice to the Shareholders for intimating that the 40th Annual General Meeting of the Company will be held on **Thursday, June 23, 2022 at 01:00 p.m**. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The Notice of 40th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable law on their registered email addresses in due course.

We request you to kindly take the above information on Record.

Thanking You,

Yours' faithfully,
for KHAITAN CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED

FCS-5096

CS KAMLESH JOSHI
(Company Secretary & Senior General Manager)

Lok Sabha Speaker Om Birla in Morena today

Morena: Lok Sabha speaker Om Birla is scheduled to visit Morena on May 25, where he will pay tribute to mother of Justice Jitendra Maheshwari. According to information, Birla would reach Morena 3.45 PM. He will first go to Circuit House where he would stay for few minutes and then, would leave for Joura. He will return to Delhi via Shatabdi Express at 8.11PM. Justice Mehshwari's mother passed away recently.

Check illicit liquor sale, betting at any cost: CM

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has said Incidents that sale of illicit liquor, gambling, betting, theft and other crimes should be checked at any cost. Criminal elements should be strictly controlled. He also said that there should be no incidents of caste hatred and religious conversion. Issues like atrocities on daughters and sisters, love jihad, conversion, animal trafficking must be taken seriously, the CM added.

Chouhan was reviewing the schemes run in Mandsaur and Jhabua districts through video conferencing from his residence on Tuesday morning. The Chief Minister congratulated Mandsaur collector for good progress under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) in the district and Jhabua collector for special efforts put in the field of Amrit Sarovar construction, literacy and education, improvement in sex ratio and women's health in the district.

Referring to the Jalabhishek campaign, the Chief Minister said that public co-operation must be sought in this campaign. People should be educated for water conservation. Otherwise, we will have to face increased crisis in future. Regarding Amrit Sarovar Yojana, the CM said that the Sarovar should be made in such a way that it becomes a place of inspiration for the village.

The CM said, 'We have this opportunity to sell and export garlic in the country and abroad respectively. Best efforts must be made to make it marketable. Efforts must be made to ensure that the garlic brand of Mandsaur becomes famous. Garlic processing should be promoted through modern methods. Chouhan said that the sex ratio in Mandsaur district is 1021 girls per 1000 boys. This is a great achievement. This should be celebrated as a festival.

The CM sought information from the collector of Jhabua district on the schemes and innovations being implemented in the district. The collector informed that Akshar Gyan Abhiyan has already been started in the district.

HARSH REALITY OF PLAYGROUNDS-PART I

Kids back on field get out of breath after a little practic

OUR STAFF REPORTER
city.indore@fpj.co.in

Children have returned to Summer Camps after a prolonged break of almost two years on account of the Covid-19 outbreak. Thankfully, they have been largely spared from the adverse effects of Covid 19-at least till date. However the stress and uncertainty associated with the Covid-19 outbreak potentially has had significant negative effects on children's mental, as well as physical, health.

Prolonged closure of playgrounds, public parks and schools had resulted in a sudden halt in physical activities of kids as they were confined at home, which drastically impacted their physical health. As they have relied solely on indoor activities, such as playing video games, Internet surfing, and watching television during the closure periods, their sedentary habits have led to muscle degradation, weight gain, chronic lower back pain and obesity.

The effects are visible now on the field as some kids who returned to the playgrounds with immense enthusiasm to follow their passion are falling ill just after joining the games and are showing such symptoms as body ache, low endurance and tiring easily compared to the pre-Covid times. They are also getting out of breath after running just a little.

To get an insight into the health implications faced by kids due to frequent pauses in physical activity, Free Press had a word with Amit Joshi, coach of the Vivekananda Cricket Academy, who said, "Kids coming back to Summer Camp after two years are showing low endurance levels compared to those in the pre-Covid period."

Another coach, Mahesh Purohit, from the Lucky Cricket Academy, said, "The sudden halt in the physical activities of kids have had adverse impacts on their stamina as they feel out of breath even after a little practice."

(Contributed by Shivani Batham)

Review meet on prevention of sickle cell anaemia to be held

Indore: A review meeting for the prevention of sickle cell anaemia is going to be organised today at the Raj Bhawan. The outgoing member of the scientific advisory committee of the ministry of AYUSH, Government of India, Dr AK Dwivedi has been invited by Governor Mangubhai Patel to participate in the review meeting. This meeting is in relation to the screening, treatment and prevention of sickle cell amaemia. The meeting will also discuss preparations for organising the proposed sickle cell screening camp in Khandwa district.

Action plan to encourage natural farming in dist

- **Objective is to make natural farming a mass movement**
- **First workshop held in Simrol**

OUR STAFF REPORTER
Indore

After Prime Minister Narendra Modi expressed his desire to see Indore district as a model for natural farming at a start-up function held here recently, the district administration has drawn up an action plan to turn the PM's desire into reality.

As part of the plan, prepared by collector Manish Singh, 3000 motivators would be trained in the district who will inspire fellow villagers to switch to natural farming. Each village will have five motivators who will do natural farming and act as an example for others.

The first such training programme for motivators was organised in Simrol village of Mhow Tehsil on Tuesday, in the presence of collector Manish Singh. Experts of natural farming, Maruti Mane, Suresh Kumar Tiwari, Santosh Soumvatia gave detailed information about natural farming to the motivators\farmers.

Addressing the training programme, collector Singh said that natural farming is more profitable than organic farming. It is less expensive and it will make farmers self-reliant. He said that farmers should come forward and adopt natural farming. He advised that initially, farmers should try it in a small patch and then the area under natural farming should be gradually increased. He said natural farming would be made a mass movement in the district.

One farmer Shashi Kumar Pal who attended the programme said that he has become convinced that natural farming is really beneficial and has decided to shift to it.

District panchayat CEO Vandana Sharma, SDM Mhow Akshat Jain, deputy director agriculture, Shiv Singh Rajput, deputy director of agricultural training and management agency (ATMA) project Shirley Thomas, deputy director horticulture VK Vaskle and other officials were present in the programme.

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

Bank of India's net profit in the fourth quarter stood at Rs. 606 Cr. Gross NPA Reduce by 9.98%

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on Tuesday, 24 May 2022 approved the financial results for the quarter ended 31 March 2022. Bank of India's Net Profit at Rs. 606 Cr, up by 142.31% YOY. Return on Assets (ROA) at 0.30%, improved by 17 bps YOY, Return on equity (ROE) at 6.64%, improved by 267 bps YOY. CRAR at 17.04% with CET-1 ratioi of 14.02% Net NPA ratio at 2.34 down by 101 bps YOY. Gross NPA declined by 19.33% YOY from Rs. 56,535 Cr. in Mar'21 to Rs. 45,605 Cr in Mar'22.

CASA ratio increased to 45.02% in Mar'22 from 41.27% in Mar'21. Net Interest Income (NII) increased by 35.77% from Rs. 2936 Cr. in Q4FY21 to Rs. 3986 Cr. in Q4FY22. NII rose by 16.96% sequentially. NIM (Global) for Q4FY22 improved from 2.01% in Mar'21 to 2.58% in Mar'22 NIM (Domestic) also went up from 2.16% in Mar'21 to 2.90% in Mar'22. Global Business increased by 4.56% YOY from Rs. 10,37,549 Cr in Mar'21 to Rs. 10,84,910 Cr in Mar'22. As on 31.03.2022, Bank's Capital Adequacy Ration (CRAR) stood at 17.04% against 16.66% in Dec'21 and 14.93% in Mar'21.

There has been a steady increase in the number of customers adopting digital banking. Internet Banking users increased from 7.60 million in March 2021 to 8.09, million in March 2022, Mobile Banking users increased from 4.34 million in March 2021 to 6.11 million in March 2022 and UPI users increased form 9.98 million in March 2021 to 12.99 million in Mar'22.

The Bank has proposed a credit growth of 10-12% in the financial year 2023 & NIM is proposed to be around 3%.

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH STATE POLLUTION CONTROL BOARD, UJJAIN

NOTICE FOR PUBLIC HEARING

This is for information of all concerned that that under the EIA Notification No. S.O. 1533, dated 14.09.2006, issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi, M/s. Ultratech Cement Ltd. has submitted an application for Environmental Clearance to the Ministry and in line with the same, M/s UltraTech Cement Limited have submitted an application to Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal to organize a Public Hearing for proposed Borkhedi-Nayagaon Limestone Mine (ML Area: 453.423 ha) with Limestone Production Capacity 2.50 Million TPA, Soil: 0.17 Million TPA, Subgrade: 1.46 Million TPA, Overburden: 0.46 Million TPA (Total Excavation: 4.59 Million TPA) along with installation of 1200 TPH Capacity of Crusher located at Villages: Borkhedi & Nayagaon, Tehsil: Jawad, District: Neemuch, Madhya Pradesh. The executive summary of the above said proposed project in Hindi and English (soft copy also) are available between the office hours at the following offices: 1) District Collector Office, Neemuch; 2) District Zila Panchayat Office, Neemuch; 3) Office of District Trade and Industries Centre, Neemuch; 4) Gram Panchayat, Sarwaniya Masania, Tehsil: Jawad, District: Neemuch; 5)Nagar Parishad, Nayagaon, Tehsil: Jawad, District: Neemuch; 6) Additional Chief Conservator, MoEF&CC, Central Environment Building, Link Road No. 3, Near Rajyog Bhawan, E5 Arera Colony, Bhopal; 7) M.P. Pollution Control Board, Environment Complex, E5 Arera Colony, Bhopal; 8) Regional Office, MPPCB 17, Bharatpuri, Ujjain. The data is also available online on www.mppcb.nic.in. Any person willing to submit his/her comments/suggestions/objections regarding the above said project can submit the same in writing at anytime between office hours, within 30 days of the published advertisement at Regional Office, MPPCB, Ujjain, District: Ujjain, MP. **The Public Hearing for this proposed project will be held on 24.06.2022 from 9:30 am, at the mining lease area, village: Nayagaon, Tehsil: Jawad, District: Neemuch, MP.** The comments/suggestions/objections can also be submitted during the public hearing.

Regional Officer
MPPCB, Ujjain

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank Oriental United

CIRCLE SASTRA CENTER INDORE
20, Sneh Nagar, Sapna Sangeeta Road,
Indore (M.P.), Ph. No. 0731-2438010

POSSESSION NOTICE Appendix-IV [See Rule 8 (i)] **For Immovable Property**

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the **Punjab National Bank** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with **rule 3 of** the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice/s on the dates mentioned against account calling upon the respective Borrower & Guarantor to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of **Punjab National Bank** for the amounts and interest thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co Borrower/Guarantor	Description of Mortgaged Property & Name of Property Owner	Date of Demand notice Date of Possession	Outstanding Amount
1	Shri Jagdeep Tomar S/o Vijay Singh Tomar	All that part and parcel of the property consisting of House No. 239 (Paiki Middle Part) Smriti Nagar Colony Vill Chhota bangarda Teh & Dist. Indore Area : 500 Sq.Ft. Owned By : Shri Jagdeep Tomar S/o Vijay Singh Tomar. **Bounded :** On North : Plot No. 219-220, On South : Road, On East : Remaining Part of Same Property, On West : Remaining Part of Same Plot	09.03.2022 19.05.2022	₹ 9,35,705.18 + Interest & Other Charges

Place : Indore
Date : 25.05.2022

Authorised Officer
Punjab National Bank

CORRIGENDUM

Advertisement of **E-Auction Sale Notice** was published in **Free Press**, Dated **29.04.2022 by Canara Bank, Regional Office, Indore**. According to the above notice E-Auction of immovable properties of Sr. No. 13 Borrower **Mrs. Shweta Nagru W/o Lalit Nagru & Mr. Lalit Nagru S/o Shyam Nagru of Khajrana Branch, Indore** was proposed on **30.05.2022**. **Due to some unavoidable reason it has been cancelled the said properties from proposed E-Auction date 30.05.2022.** Except this there is no change in the above advertisement.

Authorised Officer, Canara Bank

यूनियन बैंक Union Bank of India Andhra Corporation

SSI Indore Branch,
UG-01, Western Business Center,
1/6, New Palasiya Indore
Ph.: 0731-2533776,

Ref : SSI/ADV/2021-22/144 Date : 05/03/2022

To,
1. **Mr. Rajesh Khowal s/o Gulab Singh**
2. **Bharti Khowal W/o Rajesh Khowal,**
Both Add. : 92, New Vikash Nagar, Near Nehru Nagar Indore

Sir / Mam

Sub.: Enforcement of Security Interest Action Notice - In connection with the credit facilities enjoyed by you 1. Mr.Rajesh Khowal and 2.Bharti Khowal, AC No. - 560631000581667 & 560631000599329 with us Classified as NPA

We have to inform you that your account **1.Mr.Rajesh Khowal and 2.Bharti Khowal** with **SSI Branch** has been classified as NPA account on 31.07.2020 pursuant to your default in making repayment of dues/ interest. As on 28.02.2022 a sum of **Rs.3,61,631.29 Dr (Rupees Three Lakh Sixty one Thousend six hundred Thirty One & Twenty Nine Paise only)** is outstanding in your accounts as shown below

Nature of Limit	Limit/sanctioned Amount (Rs.)	Total Outstanding Amount as on 28.02.2022 (Rs)
TL (Home Loan)	₹ 3,25,000.00/-	₹ 3,16,833.19 Dr-
TL (Home Loan)	₹ 1,00,000.00/-	₹ 44,798.10 Dr
Total	₹ 4,25,000.00/-	₹ 3,61,631.29 Dr

In spite of our repeated demands you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account / you have not discharged your liabilities.

We do hereby call upon you in terms of section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, to pay a sum of **Rs.3,61,631.29 Dr (Rupees Three Lakh Sixty one Thousend six hundred Thirty One & Twenty Nine Paise only)** together with contractual rate of interest from 01.03.2022 with monthly rest as per the terms and conditions of loan documents executed by you and discharge your liabilities in full within 60 days from the date of receipt of this notice, failing which, we shall be constrained to enforce the following securities created by you in favour of the bank by exercising any or all of the rights given under the said Act.

Collateral Security: Property Details : All that part and parcel of Residential House property situated at House No.-92, Amar Tekary, New Vikash Nagar, Indore **in the name of Mr.Rajesh Khowal.**

Area of the Property - 545.53 Sq ft

Boundaries: EAST- House No 91 of Jatan Bai Nahar, WEST- House No 93, NORTH- Road, SOUTH-Back Lane.

1] Please note that if you fail to remit the dues with in 60 days and if Bank exercises all its rights under this Act and if the dues are not fully satisfied with the sale of proceeds of the secured assets, we shall be constrained to take appropriate legal action against you in a court of law/Debt Recovery Tribunal for recovery of the balance amount from you.

2] You are requested to note that as per Section 13(13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the consent of the Bank. Please note any violation of this section entails serious consequences.

3] Please note that as per Section 13(8) of the said Act, you may redeem the secured assets by remitting the amount demanded above together with all costs, charges and expenses incurred us at any time **before the date of publication** of notice for public auction or inviting quotations or tenders from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets.

Place : Indore, Yours faithfully
Date : 23.05.2022 **Authorized Officer**

यूनियन बैंक Union Bank of India Andhra Corporation

SSI Indore Branch,
UG-01, Western Business Center,
1/6, New Palasiya Indore
Ph.: 0731-2533776

Ref : SSI/ADV/2021-22/145 & 146 Date : 05/03/2022

To,
1. **Mrs Shakuntala Sharma W/O Mr Mahesh Sharma,**
2. **Mr Kamlesh Sharma S/o Mahesh Kumar Sharma,**
Both Add. 60, Ravji Bazar, Juni Indore, M.P. **&**
Eastern Part Of Municipal House No 89/2, Ravji Bazar, Indore M.P.
3. **Mr.Mahesh Kumar Sharma (Guarantor),** 60, Ravji Bazar, Juni Indore, M.P.

Sir/Mam

Sub.: Enforcement of Security Interest Action Notice - In connection with the credit facilities enjoyed by you 1. Mrs Shakuntala Sharma and 2. Mr Kamlesh Sharma, AC- 560631000599256 with us Classified as NPA

We have to inform you that your account **1. Mrs Shakuntala Sharma and 2. Mr Kamlesh Sharma** with **SSI Branch** has been classified as NPA account on 29/09/2018 pursuant to your default in making repayment of dues/ interest. As on 28.02.2022 a sum of **Rs.1,51,309.63 Dr (Rupees One Lakh Fifty One Thousand Three Hundred Nine & Sixty Three Paise only)** is outstanding in your accounts as shown below

Nature of Limit	Limit/sanctioned Amount (Rs.)	Total Outstanding Amount as on 28.02.2022 (Rs)
TL (Home Loan)	₹ 3,00,000/-	₹ 1,51,309.63 Dr

In spite of our repeated demands you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account / you have not discharged your liabilities.

We do hereby call upon you in terms of section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, to pay a sum of **Rs.1,51,309.63 Dr (Rupees One Lakh Fifty One Thousand Three Hundred Nine & Sixty Three Paise only)** together with contractual rate of interest from 01.03.2022 with monthly rest as per the terms and conditions of loan documents executed by you and discharge your liabilities in full within 60 days from the date of receipt of this notice, failing which, we shall be constrained to enforce the following securities created by you in favour of the bank by exercising any or all of the rights given under the said Act.

Collateral Security: Property Details : Eastern part of municipal House No 89/2, Ravji Bazar, Indore M.P. **Area of the Property - 33.80 Sq.Mtr.**

Boundaries : East- Gali No 2, West- Remaining Part of House No 89/2, North- House No 90/2, South- House No 88/2,

Mortgagor Name - Mrs. Shakuntala Sharma W/o Mr Mahesh Sharma

1] Please note that if you fail to remit the dues with in 60 days and if Bank exercises all its rights under this Act and if the dues are not fully satisfied with the sale of proceeds of the secured assets, we shall be constrained to take appropriate legal action against you in a court of law/Debt Recovery Tribunal for recovery of the balance amount from you.

2] You are requested to note that as per Section 13(13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the consent of the Bank. Please note any violation of this section entails serious consequences.

3] Please note that as per Section 13(8) of the said Act, you may redeem the secured assets by remiting the amount demanded above together with all costs, charges and expenses incurred us at any time **before the date of publication** of notice for public auction or inviting quotations or tenders from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets.

Place : Indore, Yours faithfully
Date : 23.05.2022 **Authorized Officer**

यूनियन बैंक Union Bank of India Andhra Corporation

SSI Indore Branch,
UG-01, Western Business Center,
1/6, New Palasiya Indore
Ph.: 0731-2533776,

Ref : SSI/ADV/2021-22/147 Date : 05/03/2022

To,
1. **Mohd Ikbal Noori, 2. Mohd Aijaj Noori 3. Haji Mehmood Noori**
All Add. : Plot/House No 37 (New No 44), Ahilya paltan, Tahsil & Dist Indore M.P. 452001 **&** 56, Shanti Nagar, jain Colony Chipa Bhahkal Indore

Sir / Mam

SUB: Enforcement of Security Interest Action Notice - In connection with the credit facilities enjoyed by you 1.Mr. Mohd Ikbal Noori 2. Mohd Aijaj Noori 3. Haji Mehmood Noori, AC- 531206650003021 with us Classified as NPA

We have to inform you that your account **1.Mr. Mohd Ikbal Noori 2. Mohd Aijaj Noori 3. Haji Mehmood Noori** with **SSI Branch** has been classified as NPA account on 29/07/2021 pursuant to your default in making repayment of dues/ interest.

As on 28.02.2022 a sum of **Rs.2,51,672.43 Dr (Rupees Two Lakh Fifty One Thousand Six Hundred Seventy Two & Paise Forty Three only)** is outstanding in your accounts as shown below

Nature of Limit	Limit/sanctioned Amount (Rs.)	Total Outstanding Amount as on 28.02.2022 (Rs)
TL (Home Loan)	₹ 10,00,000/-	₹ 2,51,672.43 Dr

In spite of our repeated demands you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account / you have not discharged your liabilities.

We do hereby call upon you in terms of section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, to pay a sum of **Rs.2,51,672.43 Dr (Rupees Two Lakh Fifty One Thousand Six Hundred Seventy Two & Paise Forty Three only)** together with contractual rate of interest from 01.03.2022 with monthly rest as per the terms and conditions of loan documents executed by you and discharge your liabilities in full within 60 days from the date of receipt of this notice, failing which
we shall be constrained to enforce the following securities created by you in favour of the bank by exercising any or all of the rights given under the said Act.

Collateral Security: All that part and parcel of Residential House Property situated at House No. 37 (New No. 44), Ahilya Paltan, Tah & Dist Indore M.P. in the name of **1). Mr. Mohd Ikbal Noori, 2). Mohd Aijaj Noori, 3).Haji Mehmood Noori.**

Area of the Property - 1500 Sq Ft .

Boundaries : East- Aam Rasta, West- Sarkari Nala, North- Isi Makan Ke Maliki Ki Gali, South- Mata Prasad Thakur Ka Makan.

1] Please note that if you fail to remit the dues with in 60 days and if Bank exercises all its rights under this Act and if the dues are not fully satisfied with the sale of proceeds of the secured assets, we shall be constrained to take appropriate legal action against you in a court of law/Debt Recovery Tribunal for recovery of the balance amount from you.

2] You are requested to note that as per Section 13(13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the consent of the Bank. Please note any violation of this section entails serious consequences.

3] Please note that as per Section 13(8) of the said Act, you may redeem the secured assets by remiting the amount demanded above together with all costs, charges and expenses incurred us at any time **before the date of publication** of notice for public auction or inviting quotations or tenders from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets.

Place : Indore, Yours faithfully
Date : 23.05.2022 **Authorized Officer**

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited
CIN: L24219MP1982PLC004937
Regd. Office : A.B. Road, Village Nimrani, Tehsil Kasrawad,
Dist. Khargone-451569 (M.P.) Ph.: 0731-4237926, Fax: 0731-4753655
E-mail: secretarial@kcfl.in, Website: www.kcfl.co.in

Notice of 40th Annual General Meeting to be Convined Through Video Conferencing ('VC') Facility/ Other Audio-Visual Means ('OAVM')

All the Shareholders of Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited:

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, June 23, 2022 at 1:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") facility/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide it's Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI vide it's Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through VC/OAVM, without the physical presence of the members at common venue. In compliance with the provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the year 2021-22 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent/ Depositories Participants.

If you have not registered your email address with the Company/ Depository Participants, please follow the instructions mentioned below for Registering/ updating your e-mail address.

Physical Mode	Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their Name, Folio No., e-mail address, Mobile Numbers, Bank Mandate, Scanned copy of Share Certificate, PAN Card and self attested Copy of Driving License, Voter ID or Passport (any one) with the Company at **secretarial@kcfl.in**
Demat Mode	Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail addresses, Mobile Numbers and Bank Mandate with relevant depositories through their Depositories Participants.

Members please Note that the Notice of 40th AGM and Annual Report of the Company for the Year 2021-22 will also be available on the website of the Company at **www.kcfl.co.in** and on the websites of Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and also available on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of AGM.

The Notice of 40th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable law on their registered email addresses in due course.

By order of the board
for **Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited**
Sd/-
Kamlesh Joshi
(Company Secretary & Senior General Manager)

Place : Indore
Date : 24.05.2022

VIGILANCE

एक नजर

ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम की मालिक राधिका बंडी का गिरफ्तारी आदेश

इंदौर। इंदौर के प्रसिद्ध ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम की मालिक भागीदार राधिका पति अनिल बंडी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। एडवोकेट अभिषेक तिवारी ने बताया डॉ राधिका ने 1000000 रुपए उधार लेकर बदले में वापसी का फर्जी चेक एचडीएफसी बैंक का बिना खाते में बैलेंस का ,वापसी का देकर धोखाधड़ी की ,जिसकी इंदौर कोर्ट ने जुर्म कायम करके राधिका बंदी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश पलासिया पुलिस को, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय इंदौर द्वारा दिया गया।

जमीन के नाम पर धोखाधड़ी

इंदौर। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक बुजुर्ग के साथ एक महिला ने जमीन के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी की है। बेटमा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी शम्मी कपूर निवासी स्काई लग्जरिया निपानिया की शिकायत पर आरोपी गीताबाई निवासी खाती मोहल्ला मूसाखेड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल ग्राम उमरिया खुर्द में आरोपी गीताबाई के नाम पर जमीन है। उसने 2 बीघा जमीन 71 लाख रुपए में फरियादी को बेची थी 65 भी लिए थे बाकी 6 लाख रजिस्ट्री के समय देने की बात कही थी यह सौदा करीब 9 साल पहले हुआ था बाद में और भी गीताबाई ने रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया उसने पैसा भी नहीं लौटाया।

जज के बंगले में घुसे चोर

इंदौर। खजराना इलाके में रहने वाले एक न्यायाधीश के बंगले को चोरों ने निशाना बनाया है। न्यायधीश का कर्मचारी बंगले पर पहुंचा तो घर के ताले टूटे हुए मिले। न्यायधीश फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश पर शहर से बाहर है। खजराना थाने में फरियादी श्याम शरण सिंह निवासी साईं श्रद्धा पैलेस कॉलोनी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। श्याम शरण सिंह ने पुलिस को बताया कि वह न्यायधीश धर्मेंद्र सोनी के बंगले पर काम करता है। सोनी ग्रीष्मकालीन अवकाश की वजह से शहर से बाहर है। फरियादी श्याम शरण बंगले की देखरेख करता है।

शराब दुकान पर डकैती के पहले पकड़ाए बदमाश

इंदौर। चंदननगर पुलिस ने बदमाशों की एक टोली को पकड़ा है ,उनके पास घातक हथियार भी मिले हैं। यह टोली एक वाइन शॉप पर डकैती डालने की तैयारी कर रही थी। चंदन नगर थाना प्रभारी अभय नीमा के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के नाम जब्बार पिता अब्दुल सत्तार निवासी ई सेक्टर चंदननगर, शकील उर्फ बबला पिता रफीक अब्बासी निवासी डायमंड पैलेस, मुशर्रफ उर्फ मोईन पिता हासिम खान निवासी चंदन नगर, शानू उर्फ फरदीन पिता सलीम निवासी आम वाला रोड और एक अन्य है।

सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म

इंदौर। सोशल मीडिया पर दोस्त बने युवक ने एक युवती को शादी का झांसा दिया और साल भर तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अब आरोपी ने लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम संकेत पिता मोहन लाल यादव निवासी राजेंद्र नगर है। उसके खिलाफ एक पीड़िता ने प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस को बताया कि1 साल पहले इंस्टाग्राम पर आरोपी संकेत से युवती की पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों व्हाट्सएप पर बातचीत करने लगे। आरोपी संकेत पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने दोस्त आयुष के फ्लैट पर ले गया था। वहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

बेटी के बॉयफ्रेंड की पीट-पीटकर हत्या

आपत्तिजनक हालत में देखा तो खेत में ले जाकर मार डाला

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। इंदौर में बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो परिवार के लोगों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। युवक को सुनसान खेत में ले गए और उसे मरते दम तक पीटते रहे। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। मंगलवार सुबह युवक का शव मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ।

खुडैल थाना प्रभारी अजय गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह मालाखेड़ी नाले के पास एक अज्ञात शव की पहचान विनोद पिता श्याम चौहान निवासी बडिया कीमा के रूप में हुई। शनिवार रात युवक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शव पर बिजली के तार से गला घोंटने और शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। विनोद मजदूरी करता था। पुलिस ने इलाके के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि विनोद का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 दिन पूर्व ही परिवार के लोगों ने युवती को विनोद के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जिसके बाद युवती ने ही फोन कर विनोद को मिलने बुलाया था। इसके बाद से वह लापता था।

युवती बोली- पापा और भाई मारते रहे

पुलिस ने विनोद की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की। उसने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि परिवार के दबाव में आकर फोन कर विनोद को मिलने बुलाया था। जब वह आया तो पिता, भाई और मां उसे खेत में ले गए। पापा और भाई ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर वहां से भाग गए।

डस्टबिन में मिले जुड़वां नवजात के शव

सफाईकर्मी ने पॉलीथिन खोलकर देखा तो होश उड़ गए

इंदौर। इंदौर में बाल विद्या मंदिर के पास नगर निगम के डस्टबिन में दो जुड़वां नवजात के शव मिले हैं। सफाइकर्मी जब डस्टबिन खाली करने पहुंचा तो उसे शव पॉलीथिन में बंद मिले। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। चंदन नगर टीआई अभय नेमा के अनुसार दोनों नवजात को योजनाबद्ध तरीके से लाकर यहां फेंका गया है। इसमें दो या तीन से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है।

सुबह नगर निगम की कचरा गाड़ी रोज की तरह डस्टबिन से कचरा उठाने धार रोड पहुंची। इस दौरान निगमकर्मी को एक पॉलीथिन में कुछ भारीपन लगा। उसने खोल कर देखा तो होश उड़ गए। थैली में दो मृत नवजात थे। उसने नगर निगम कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इसके बाद चंदन नगर पुलिस मौके पर पहुंची। नवजातों में एक लड़का और एक लड़की थी। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने आशंका जताई है कि रात को इन बच्चों को फेंका गया। पुलिस टिम्बर मार्केट व आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

लाखों रुपए की धोखाधडी में आरोपी गिरफ्तार

इंदौर । क्राईम ब्रांच की टीम ने लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूर्य प्रताप सिंह पिता केशव सिंह चौहान उम्र 34 साल निवासी मकान नंबर 183 वार्ड नंबर 07 पंजाबी मोहल्ला किच्छा उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड एवं वर्तमान पता 132 थर्ड फ्लोर बन्नू एनक्लेव पीतम पुरा थाना मंगोलपुरी आउटर डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली को पकडा । पूछताछ करते आरोपी ने बताया कि फरयादी जिसके द्वारा वर्ष 2019 में कॉल कर टेलेंट एरा इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड की दिल्ली स्थित ऑफिस पर कॉल करके कनाडा इमिग्रेशन के नाम से फरियादी से पैसे लेना इसके बाद कोविड को एक्स्ट्रा फीस के नाम पर, उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट कनाडा से अप्रूव नहीं हुए और पैसे देने का बोलकर ,उसके बाद फाइनल 21 वर्किंग दिनों में आपको भेजने के लिए 5 लाख और देना होगा बोलकर एवं लेट फीस सहित कई तरह के झूठ बोलकर फर्जी सिम किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लेकर , कंपनी के भिन्नझभिन्न अधिकारी बनकर कॉल कर आवेदक से 12,44,338/ रू लेकर, न तो आवेदक को पैसे वापस किए न ही आवेदक को सर्विस दी।

धोखाधड़ी से पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की न्याय की गुहार

इंदौर। कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास अपनी शिकायत लिखित या मौखिक तौर पर दर्ज करवा सकता है। हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है। लेकिन लसुड़िया पुलिस एफआईआर यानी फस्ट इनफॉर्मेश रिपोर्ट को दर्ज करने से आनाकानी कर रही है।

जानकारी के अनुसार 5 अहिल्यामाता कॉलोनी निवासी राहुल पिता सतीश गोयल ने आला पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है कि कृषि भूमि विकय करार का पालन नहीं करने और बयाने की रकम हजम कर धोखाधडी किये जाने बाबद् लसुड़िया थाना पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कि जा रही है। मुख्यमंत्री एक तरफ भूमाफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने की बात कहते हैं वहीं उनकी सरकार के अफसर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। राहुल गोयल ने बताया उन्होंने केदार पिता आनंदीलाल उपाध्याय एवं श्यामनारायण पिता आनंदीलाल उपाध्याय दोनों निवासी ग्राम झलारिया मायाखेडी, इन्दौर से उनके मालिकी की कृषि भूमि जो कि ग्राम झलारिया में स्थित है। जिसका खसरा नं. 184 रकबा 0.324, 186 रकबा 1.218 187 रकबा 0.093 सर्वे नं.0188 / 2 रकबा 0.053 सर्वे नं 188/1 रकबा 0.978 लगभग 6.58 एकड का सौदा कुल उन्नीस करोड अस्सी लाख अट्ठावन हजार रुपए में किया। जिसका दिनांक 24- जुलाई 2017 को राहुल गोयल ने पेटे के ग्यारह लाख दिए। राहुल गोयल ने जब बकाया राशि लेकर उक्त जमीन की रजिस्ट्री का कहा तो दोनो के द्वारा कभी अपना पारिवारिक विवाद का बहाना बनाया। इसी दौरान राहुल को जानकारी प्राप्त हुई है कि केदारनाथ की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है लेकिन इनके परिवार वाले भी रकम देने में आना कानी कर रहे हैं। बताते हैं इस जमीन को इन लोगो ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, तथा एडवांस में दिए गए ग्यारह लाख भी यह लोग नहीं दे रहे है।

नर्मदा प्रोजेक्ट कंट्रोलर ने किया सुसाइड

मैं अपने शरीर से त्रस्त हो गया हूं, लिखकर खा लिया जहर

इंदौर। इंदौर में नर्मदा प्रोजेक्ट में काम करने वाले कंट्रोलर विजय श्रीधर धर्माधिकारी ने जहर खाकर सुसाइड नोट लिखा। घटना के बाद परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस द्वारा मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें मृतक ने अपने आप से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की बात लिखी है।जांच अधिकारी एएसआई भगवान सिंह ठाकुर के अनुसार वीर सावरकर नगर में रहने वाले 59 साल के विजय पिता श्रीधर धर्माधिकारी के भतीजे ने पुलिस को सूचना दी थी। जहरीला पदार्थ खाने के बाद विजय को निजी अस्पताल लाया गया था। लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनके मकान की तलाशी में जहर की पुड़िया और एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें मृतक विजय ने अपने आप से परेशानी की बात लिखी है। मृतक के भतीजे राहुल ने बताया कि 7 साल पहले विजय की पत्नी की भी मौत हो गई थी। जिसके बाद से विजय बहुत ही दुखी रहते थे। 3 साल पहले उनकी बेटी की भी मौत हो गई थी। बेटी की मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा था। अकेलेपन और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सोमवार देर रात जहर खा लिया था।

सड़क हादसे में युवक की मौत

इंदौर। खंडवा से रोजगार के लिए आए एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी कि जान ही चली गई। मामला इंदौर के नजदीक पीथमपुर का है। कल रात अचेत हालत में अजय पिता रामपाल मौर्य को एमवाय अस्पताल लाया गया था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अजय के रिश्तेदार मोहन के अनुसार अजय मूल रूप से खंडवा के नजदीक एक गांव का रहने वाला है।

पित्रेश्वर हनुमान मंदिर पर टिफिन पार्टी

इंदौर। भाजपा किसान मोर्चा इंदौर नगर अध्यक्ष मुकेश पंवार ने बताया कि नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के नेतृत्व में भाजपा किसान मोर्चा महानगर की टिफिन बैठक का आयोजन पित्रेश्वर हनुमान मंदिर पितृ पर्वत पर किया गया। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं इंदौर संभाग प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत ने कार्यकताओं से आग्रह किया कि हमें प्रत्येक वार्ड में 5-5 कार्यकताओं की समिति गठित करना है तथा समिति द्वारा सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का सर्वेक्षण कर उनको भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बनाने का प्रयास करना है। उक्त बैठक में भाजपा किसान मोर्चा इंदौर नगर अध्यक्ष मुकेश पंवार, नगर महामंत्री अनिल बोरसी, जितेंद्र चौधरी सहित पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी श्री रितेश तिवारी ने दी है।

प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने आयोजित होंगे प्रशिक्षण शिविर

इंदौर। जिले के समस्त ग्रामों में प्राकृतिक कृषि के इच्छुक कृषकों के खेत पर प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन हेतु जिले को प्राकृतिक खेती का मॉडल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना अंतर्गत एक दिवसीय विकासखण्ड स्तरीय प्राकृतिक कृषि विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समस्त विभागों के फिल्ड के अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम से कम एक प्रगतिशील कृषक जो प्राकृतिक खेती करने हेतु इच्छुक कृषक हो उन्हें आवश्यक रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य इच्छुक कृषकों हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा फील्ड में व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक संकल्प पत्र एवं पंजीयन कार्य करवायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे से आयोजित होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 मई को जनपद पंचायत संभाकक्ष सांवेर में 200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी प्रकार 26 मई को जनपद पंचायत सभाकक्ष देपालपुर में 200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अय्याशी के लिए बन गए लुटेरे

इंदौर। क्राइम ब्रांच ने दो ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो अय्याशी के लिए लूट की वारदातें कर रहे थे। आरोपियों से लूट की चेन भी बरामद हुई थे। उन्होंने अन्य वारदातें भी कबूली है। अब उन मामलों में पुलिस प्रकरण भी दर्ज कर रही है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त निमिष अग्रवाल के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के नाम आदित्य उर्फ तन्ना पिता अजय निवासी चंदन नगर और रितिक पिता अजय चोपड़ा निवासी समाजवाद नगर है। जूनी इंदौर इलाके में एक महिला के साथ पिछले दिनों चेन लूट की वारदात हुई थी। महिला साधु वासवानी नगर गार्डन के पास से गुजर रही थी ,तभी बदमाशों ने उनकी चेन झपटी थी। क्राइम ब्रांच के एएसआई देवेंद्र को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा गया।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लालबाग बुरहानपुर में श्री रामभाउ मोतीराम को भूखंड क्रमांक ईडब्ल्यूएस-1 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड को विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती राधा सिगोतिया पति गणेश सिगोतिया को विक्रय किया गया है तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जेतापुर खरगोन में श्रीमती पदमा शर्मा पति श्री ब्रजकिशोर शर्मा को भवन क्रमांक एचआईजी-33 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन को विक्रय विलेख के माध्यम श्रीमती भावना सोहनी पति श्री विशाल सोहनी को विक्रय किया गया तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भवन नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लालबाग-बी-बुरहानपुर में श्री रवि खाण्डेराव पिता श्री चंद्रभान खाण्डेराव को भवन क्रमांक एलबी-125 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन को विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती शीला मोरे पति श्री अरविन्द मोरे को विक्रय किया गया है तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भवन नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मंडल कालोनी बड़वाह में श्री बालाराम खेड़ेकर पिता गोविन्द जी खेड़ेकर को भूखंड क्रमांक डी-14 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी की मृत्यु दिनांक 22.01.2019 को हो जाने से इनके परिवार में इनकी पत्नि श्रीमती जयंती खेड़ेकर पति स्व. बालाराम द्वारा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखंड अपने नाम नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। मूल आवंटी की मृत्यु हो जाने से आवंटित भूखंड उनकी पत्नि के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, परिवार के सदस्यों आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अधिवक्ता महेश मालाकार मेरे पक्षकार द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों को क्रय किया जा रहा है, जो मोहम्मद जहुर पिता नूर मोहम्मद, निवासी गंज बाजार, गुडलक शाप , खण्डवा के द्वारा युनुस पिता हबीब शाह, मुस्ताक पिता हबीब शाह निवासी ग्राम मोकलगाँव, तह. पंधाना जिला खण्डवा की संपत्ति वाके ग्राम मोकलगाँव, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भाग की जिसका पटवारी हल्का नंबर 08, खसरा नंबर 484/1, 484/2, 484/3, 488/1, 488/2, 488/3 की कृषिभूमि है एवं बसंत पिता गणपत, बबन पिता गणपत, करसन पिता गणपत, तीनों निवासी ग्राम मोकलगाँव, तह. पंधाना, जिला खण्डवा की संपत्ति वाके ग्राम मोकलगाँव, तहसील पंधाना, जिला खंडवा के भाग की जिसका पटवारी हल्का नंबर 08, खसरा नंबर 486/1, 486/2, 486/3, 487/1, 487/2, 487/3 की कृषिभूमि है तथा लक्ष्मी सेठी निवासी खंडवा खसरा नंबर 105/7 की भूमि 07 डिसमिल है जिसका पटवारी हल्का नंबर 82 है जिस पर एक मकान बना हुआ एवं विकास पिता चिंतामन जैन निवासी खंडवा से उसकी मालकीयत की संपत्ति जिसका पटवारी हल्का नंबर 08, खसरा नंबर 494/2/1, 494/3, की भूमि की मेढ़ दिनांक 29.09.1992 से नानाजी के समय से आज तक श्यानी बाई और मोहम्मद जहुर की मेढ़ एक जैसी सीधी है। मोहम्मद जहुर ने विकास कुमार से जो जमीन क्रय की है उस जमीन की इंदौर रोड तरफ की चौड़ाई 03 जरीफ, 33 कढ़ी (220 फुट) है। रामनिवास सेठ के समय से आज तक विष्णु, मुस्ताक, युनुस और मोहम्मद जहुर की मेढ़ एक-दूसरे से लगी है। मोहम्मद जहुर ने विकास कुमार से जो जमीन क्रय है उस जमीन की इंदौर रोड तरफ की चौड़ाई 03 जरीफ, 33 कढ़ी (220 फुट है) उपरोक्त संपत्तियों को मेरे पक्षकार द्वारा क्रय किया जा रहा है जिसमें किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक या अन्य किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह मेरे पक्षकार अथवा मुझे सूचित करें।

खंडवा दिनांक - 23.05.2022

महेश मालाकार, अधिवक्ता
गणेश तलाई, खंडवा मो.नं. 91312-95568

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रकाश पिता श्री हरीराम रेचे निवासी ग्राम बोरगांव बुजुर्ग, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के मालिकी का पड़त भूखण्ड जो ग्राम बोरगांव बुजुर्ग, वार्ड नम्बर-09, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भाग में स्थित है। जिसका ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग की डिमाण्ड पंजी क्रमांक-751 है। जिसकी लम्बाई चौड़ाई-पूर्व पश्चिम-50 फीट एवं उत्तर दक्षिण-14 फीट कुल 700 वर्गफीट का पड़त भूखण्ड है। जिसकी चतुरसीमा-पूर्व को आम रास्ता, पश्चिम को शेख भुरू पिता अब्दुल रहमान का पड़त प्लाट, उत्तर को धन्नालाल का मकान, दक्षिण को सुभाष मुले का पड़त प्लाट है। उपरोक्त वर्णित सम्पति का पूर्व का पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 03/04/2014 दस्तावेज क्रमांक-1अ/07 जिसमें खरीददार श्री संतोष पिता विक्रम राठौर एवं बेचवाल 1. शेख भुरू पिता अब्दुल रहमान, 2. शेख हमीद पिता अब्दुल रहमान, 3. अजीज खां पिता दलशेर खां है। उपरोक्त का मूल पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 03/04/2014 कही गुम हो गया है, काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। उपरोक्त सम्पति पर श्री प्रकाश पिता श्री हरीराम रेचे द्वारा मेरे पक्षकार बैंक एयू स्माल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड से ऋण प्राप्त करना चाहते है। यदि उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, वित्तीय संस्था, बैंक या अन्य का किसी भी प्रकार का स्वत्व, हित, अधिकार, भार, बोझा या कोई उजर आपत्ति हो तो वह इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के सात दिन में मुझे मय प्रमाण लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात कोई भी आपत्ति हमारे हितो अथवा सम्पत्ति पर बंधनकारक नहीं रहेगी। सो सूचना जाने।

खण्डवा
दिनांक

मनीष कुमार वशिष्ठ (अधिवक्ता)
85, सुभाष नगर, खण्डवा
मो.नं. - 9827250664

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी इंदौर म.प्र.
कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष कमांक 204 जिला इंदौर मध्यप्रदेश)

कमांक/223/रीडर-1/2022
जूनी इंदौर दिनांक-24/5/22
प्रकरण कमांक 25/अपील/2021-2022

विज्ञप्ति

मेसर्स सुरजगंगा लॉजिस्टक्स द्वारा भागीदार अरुण गोयल पिता बालकिशन गोयल पता-9/2, सियागंज, इन्दौर

विरूद्ध

1. सीता श्री फुड प्रोडक्टस प्रा. लि. पता-आर. डी. उघोग नगर, नेमावर रोड, इन्दौर
2. रत्नाकर पिता तुलसीराम पता-ग्राम पालदा तह. इन्दौर

अपीलाण्ट मेसर्स सुरजगंगा लॉजिस्टक्स द्वारा भागीदार अरुण गोयल पिता बालकिशन गोयल पता-9/2, सियागंज, इन्दौर नायब तहसीलदार जूनी इन्दौर के नामान्तरण पंजी क.03 दिनांक 31/03/1997 से ग्राम पालदा स्थित भूमि सर्व क. 330/1/4 रकबा 0.142 हेक्टयर भूमि के संबंध में किए गए आदेश से असंतुष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा-44 के तहत प्रस्तुत की है जिसकी कार्यवाही प्रचलन में होकर आगामी दिनांक 10/06/2022 नियत है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर पेशी दिनांक 10/06/2022 को समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। मियाद अवधि बाहर आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। आज दिनांक 24/05/2022 को जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग जूनी इंदौर, जिला इंदौर म.प्र

खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
सी.आई.एन.: L24219MP1982PLC004937
पंजीकृत कार्यालय : ए.बी. रोड, ग्राम निमरानी, तहसील कसरावद,
जिला खरगोन-451569 (म.प्र.) फोन: 0731-4237926, फैक्स: 0731-4753655
ई-मेल: secretarial@kcfl.in, वेबसाइट: www.kcfl.co.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स के माध्यम से आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के समस्त शेयरधारक (सदस्य):

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में बताए जाने वाले कारोबार को संचालित करने के लिए खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 40वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) का आयोजन गुरुवार, दिनांक 23 जून, 2022 को दोपहर 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.)/ अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 5 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को जारी परिपत्र संख्या 21/2021 और दिनांक 5 मई, 2022 को जारी परिपत्र संख्या 2/2022 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 और दिनांक 15 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना (वी.सी.)/(ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते हैं, के अनुपालन में एजीएम को (वी.सी.)/(ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा व्यावसायिक विवरण 2021-22 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं।

यदि आपने कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया आप अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/ अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें-

भौतिक तरीका	ई-मेल पता पंजीकृत करने के लिए, कृपया कंपनी को ई-मेल द्वारा **secretarial@kcfl.in** पर शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक मैंडेट, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैनकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र या पासपोर्ट में से किसी एक की स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ अनुरोध भेजें।
डीमेट तरीका	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा बताए अनुसार अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर एवं बैंक मैंडेट को पंजीकृत करें।

सदस्य ध्यान दें कि 40वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा व्यावसायिक विवरण 2021-22 कंपनी की वेबसाइट **www.kcfl.co.in** और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर उपलब्ध रहेगी तथा यह सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध रहेगी।

सदस्यों को एजीएम सूचना में बताए गए कारोबार पर एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान अपने मतदान का इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रमशः रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम उपयोग करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान क्रमशः रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को एजीएम सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

40वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) की सूचना शेयरधारकों को लागू कानून के प्रावधानों अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
हस्ताक्षरित
कमलेश जोशी
(कम्पनी सचिव एवं वरिष्ठ महाप्रबंधक)

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 24.05.2022

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited

CIN: L24219MP1982PLC004937
Regd. Office : A.B. Road, Village Nimrani, Tehsil Kasrawad,
Dist. Khargone-451569 (M.P.) Ph.: 0731-4237926, Fax: 0731-4753655
E-mail: secretarial@kcfl.in, Website: www.kcfl.co.in

Notice of 40th Annual General Meeting to be Convined Through Video Conferencing ('VC') Facility/ Other Audio-Visual Means ('OAVM')

All the Shareholders of Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited:

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, June 23, 2022 at 1:00 p.m. through Video Conferencing ('VC') facility/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide it's Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI vide it's Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through VC/OAVM, without the physical presence of the members at common venue. In compliance with the provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the year 2021-22 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent/ Depositories Participants.

If you have not registered your email address with the Company/ Depository Participants, please follow the instructions mentioned below for Registering/ updating your e-mail address.

Physical Mode	Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their Name, Folio No., e-mail address, Mobile Numbers, Bank Mandate, Scanned copy of Share Certificate, PAN Card and self attested Copy of Driving License, Voter ID or Passport (any one) with the Company at **secretarial@kcfl.in**
Demat Mode	Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail addresses, Mobile Numbers and Bank Mandate with relevant depositories through their Depositories Participants.

Members please Note that the Notice of 40th AGM and Annual Report of the Company for the Year 2021-22 will also be available on the website of the Company at **www.kcfl.co.in** and on the websites of Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and also available on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of AGM.

The Notice of 40th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable law on their registered email addresses in due course.

By order of the board
for **Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited**
Sd/-
Kamlesh Joshi
(Company Secretary & Senior General Manager)

Place : Indore
Date : 24.05.2022

VIGILANCE

खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

सी.आई.एन.: L24219MP1982PLC004937
पंजीकृत कार्यालय : ए.बी. रोड, ग्राम निमरानी, तहसील कसरावद,
जिला खरगोन-451569 (म.प्र.) फोन: 0731-4237926, फैक्स: 0731-4753655
ई-मेल: secretarial@kcfl.in, वेबसाइट: www.kcfl.co.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स के माध्यम से आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के समस्त शेयरधारक (सदस्य) :

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में बताए जाने वाले कारोबार को संपादित करने के लिए खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 40वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) का आयोजन गुरुवार, दिनांक 23 जून, 2022 को दोपहर 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.)/ अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 5 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को जारी परिपत्र संख्या 21/2021 और दिनांक 5 मई, 2022 को जारी परिपत्र संख्या 2/2022 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 और दिनांक 15 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना (वी.सी.)/(ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते हैं, के अनुपालन में एजीएम को (वी.सी.)/(ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण 2021-22 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं।

यदि आपने कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया आप अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/ अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें-

भौतिक तरीका	ई-मेल पता पंजीकृत करने के लिए कृपया कंपनी को ई-मेल द्वारा **secretarial@kcfl.in** पर शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक मैंडेट, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पेनकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र या पासपोर्ट में से किसी एक की स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ अनुरोध भेजें।
डीमेट तरीका	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा बताए अनुसार अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर एवं बैंक मैंडेट को पंजीकृत करें।

सदस्य ध्यान दें कि 40वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण 2021-22 कंपनी की वेबसाइट **www.kcfl.co.in** और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर उपलब्ध रहेगी तथा यह सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध रहेगी।

सदस्यों को एजीएम सूचना में बताए गए कारोबार पर एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान अपने मतदान का इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रमश: रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम उपयोग करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान क्रमश: रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को एजीएम सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

40वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) की सूचना शेयरधारकों को लागू कानून के प्रावधानों अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते **खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड**
हस्ताक्षरित
कमलेश जोशी
(कम्पनी सचिव एवं वरिष्ठ महाप्रबंधक)

स्थान : **इन्दौर**
दिनांक : **24.05.2022**

VIGILANCE